


9/19



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100




ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA

DICIAL



*Prate*  
*Shambhu*  
*Shambhu*

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294222

न्यास विलेख 11/3/19 5450215564

- 1- यह कि न्यास का पूर्ण नाम शम्भूनाथ दूबे शिक्षण संस्थान ट्रस्ट होगा।
- 2- यह कि इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा जिसका मुख्य कार्यालय ग्राम-डकाही, पोस्ट- लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर (उ0प्र0) होगा।
- 3- यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासीमण्डल न्यूनतम चार व्यक्तियों का सदैव रहेगा।

इस न्यास के मुख्य न्यासी एवं न्यासी निम्नलिखित है।

मुख्यन्यासी -

यह कि इस न्यास के मुख्य न्यासी अनिल कुमार दूबे पुत्र स्वं शम्भूनाथ दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।

न्यासी-

- 1. श्रीमती उर्गिला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।
- 2. संदीप दूबे सुत श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।
- 3. ~~कुसुमी दूबे~~ सुत श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।

Principal  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

Manager  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

अनिल कुमार

आम 3/100 एक ही लगे शासनाचे इने शिक्षण संस्थान इएए गण-इकाही पा०-चांग तह-लाय  
जिला-मुलतानपुर (नाहे-इएएकार्य)

पत्रांक 41054  
08-03-2019

कडू राज पाण्डे

विद्यार्थी क्र. 2212000

संपत्ती, जिला मुलतानपुर



15000000

मुलतानपुर जिला शिक्षण संस्थान  
मुलतानपुर जिला



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294223

1. यह कि मुख्य न्यासी को न्यास के लिए न्यासी नामित करने तथा उसका कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि उपरोक्त न्यासीमण्डल का पूर्णअधिकार मुख्य न्यासी को रहेगा।
3. यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि न्यास मण्डल में न्यासीगण की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकता है।
4. यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने जीवन काल में ही अपने किसी सक्षम, कर्मठ, योग्य, तथा न्यास व संस्था के प्रति निष्ठावान पुत्र को अपने पद पर मुख्य न्यासी नामित कर दें। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई भी चुनौती देने की शक्ति नहीं रखेगा। यदि मुख्य न्यासी अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी मुख्य न्यासी नामित नहीं कर पाता है अथवा अपना उत्तराधिकारी नामित करने में असमर्थ हो जाता है तो शेष न्यासीगण मुख्य न्यासी के पुत्रों में से सुयोग्य एवं कर्मठ, ट्रस्ट तथा संस्था के प्रति निष्ठावान पुत्र को बहुमत के आधार पर मुख्य न्यासी नामित करेंगे या मुख्य न्यासी चुनेंगे।
5. यह कि मुख्य न्यासी को किसी भी न्यासी को बिना कारण बताये हटाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है या भविष्य में रहेगा।
6. यह कि किसी प्रकार न्यासी का स्थान रिक्त होने पर मुख्य न्यासी द्वारा रिक्त स्थान भरा जाएगा।
7. मुख्य न्यासी एवं तीन न्यासी के अतिरिक्त संख्या बढ़ायी नहीं जा सकती मुख्य न्यासी अथवा न्यासी की मृत्यु होने पर प्रथमतः उनकी पत्नी तथा उसके बाद पुत्र न्यासी होंगे।
8. न्यासी गण **Principals** संचालित शिक्षण संस्थानों अथवा विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन व **अधिकार** **अपनी** **सहमति** से फैसला लेंगे।

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

अनिल कुमार

(A)  
Manager

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

RS 100

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

EL 294224

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. यह कि ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में या अन्यत्र नहीं जायेगा। यदि भविष्य में कोई सहायक न्यासी या सदस्य किसी विवाद को न्यायालय में या अन्यत्र दाखिल करेगा तो उस न्यासी या सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. यह कि इस न्यास को पूरे भारत वर्ष में कहीं भी कोई चल- अचल सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार रखेगा और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा और इसकी चल अचल सम्पत्ति के क्रय - विक्रय का अधिकार मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा।
11. यह कि इस न्यास या इस न्यास द्वारा संचालित संस्था का वित्तीय एवं आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन इस न्यास अथवा इसके द्वारा संचालित संस्था के हित में इसके नाम से सदैव सुचारु रूप से होता रहेगा। जिसकी व्यवस्था मुख्य न्यासी, न्यासी मण्डल की ओर से करेगा और उसके लिए आवश्यक कोष व उसके रख-रखाव की व्यवस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा लाभदायी निवेश आदि की व्यवस्था भी उसी प्रकार होती रहेगी जिसका संचालन सामान्यतः मुख्य न्यासी के द्वारा होता या उसके निर्देशानुसार होता रहेगा।
12. यह कि किसी प्रकार का कोई दान, चन्दा, सहायता, अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति, संस्था, राज्य के द्वारा कोई सम्पत्ति या धन इस न्यास के लिए प्राप्त होगी वह न्यास के नाम या इसके संचालित संस्थाओं के नाम रहेगा। न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के कोष मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा अथवा मुख्य न्यासी द्वारा नियुक्त सदस्य/न्यासी द्वारा किया जायेगा।

Principal  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

अनिल कुमार

Manager  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

RS 100

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EL 294226

प्रदेश UTTAR PRADESH

- मुख्य न्यासी में निहित होगा जिसका उपयोग मुख्य न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों को ध्यान में रखकर इस न्यास व संस्था के हित में निष्पक्ष रूप में किसी अनुचित भेद भाव या द्वेष भाव से विरत रहकर करेंगे और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिए उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे।
18. यह कि न्यास के उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए यदि मुख्य न्यासी आवश्यक समझे तो उसकी उपसमिति/प्रबन्ध समिति गठित कर सकता है। उपसमिति/प्रबन्ध समिति को नियुक्त करने व पदमुक्ति करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।
19. यह कि न्यास की बैठक की कार्यवाही निर्णय आदि करने हेतु न्यासियों में से कम से कम एक तिहाई न्यासियों की उपस्थिति एवं स्वीकृति अनिवार्य होगी। न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था में बहुमत के आधार पर आवांछित रूप से हुए किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर मुख्य न्यासी को उस मतभेद का विवेकानुसार समाधान करने एवं उस विनिश्चय व प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार होगा।
20. यह कि इस ट्रस्ट को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक नियमावली बनाने तथा उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्धन तथा परिवर्तन करने का अधिकार न्यासी मण्डल को रहेगा। किन्तु इस संदर्भ में अन्तिम निर्णय का अधिकार मुख्य न्यासी को प्राप्त होगा।
21. न्यास की सम्पत्ति यह कि मुख्य न्यासी अनिल कुमार दूबे द्वारा दिया गया 11000 (ग्यारह

Principal  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

अनिल कुमार

Manager

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294227

### अन्य प्रतिबन्ध / शर्तें

यदि ट्रस्ट सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. विद्यालय की मान्यता के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुपालन के सन्दर्भ में -

- क- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट को समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- ख- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होंगे।
- ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/अनु0जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त करने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- ङ- संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे।

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua

अनिल कुमार

  
Manager  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



EL 294228

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से ज तक स्वीकार है।
- झ- उक्त प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'ज' तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/ संशोधन नहीं किया जायेगा।

विशेष- मुख्य न्यासी एवं न्यासी के पद वंशानुगत ही होंगे।

अतः मैने न्यास अभिलेख सहर्ष स्वेच्छानुसार स्वतंत्र विचार से शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अवस्था में बिना किसी जोर दबाव के यह ट्रस्ट डीड न्यास परिपत्र लिख दिया ताकि सन्दर्भ और तदनुसार कार्य करावे।  
Shambhunath Dubey, Principal  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur  
तहरीर तारीख-

मसविद कर्ता-

11.3.19  
Shambhunath Dubey

अनिल कुमार

(A)  
Manager  
Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



भारतीय गैर न्यायिक



एक सौ रुपये

RS. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

EL 300328

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तारीख - 11-03-2019 ई.

आविल कुमार



गणक शंकराशुक्ला सुत ही कुमुदप्रसाद  
शुक्ल गा. तिवरीपुर पो. दिवरा  
प्राग्ना अलदेमक तकसील जयसिंहपुर  
जिला सुल्तानपुर




Photo  
आविल कुमार  
11/3/19

गणक एम. कुमार पाठक एम. एम. डी. अकादमी  
पाठक काल वेदपुरा को लखनपुरा प्राग्ना नंदी  
लखनपुरा सुल्तानपुर



11/3/19

*[Signature]*  
Principal

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

*[Signature]*  
Manager

Shambhunath Dubey Convent School  
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

01/100/00 अर्जित कुआर सुड शम्भुगण इले लाइवरी पट्टा चोटा तहसील  
जिल्हा सुलतानपुर तळी 202

हरिगोविन्द उपाध्याय  
11.03.2019

हरिगोविन्द उपाध्याय  
11 MAR 2019  
स्टाम्प विडता-ला०न०-L-6/99  
तहसील-लम्भुआ, जिला-सुलतानपुर

आवेदन सं०: 201900917001376

बही संख्या 4 जिल्हा संख्या 18 के पृष्ठ 147 से 162 तक क्रमांक  
9 पर दिनांक 11/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुखराम सिंह  
उप निबंधक : लम्भुआ  
सुलतानपुर  
11/03/2019

